न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 40 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 01.03.2024

भेरूलाल पुत्र रामपाल जाति बलाई निवासी गुंसी तहसील निवाई जिला टोंक राज0
—अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 21.02.2024 मिसल नम्बर 269 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री राजेन्द्र कुमार जाट,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीणा,नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 16.07.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 21.02.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1021 मे से रकबा 0.02 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम गुंसी तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर बाडा कब्जा डोल लगाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 10 / रू. पेनल्टी कायम की गई है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया गया और ना ही मौके की वास्तविक वस्तु—स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट का बाडा मौके पर भूमि खसरा नम्बर 1021 गै.मु. रास्ते की भूमि पर ना होकर खसरा नम्बर 1079 रकबा 0.0051 है0 वाके ग्राम गुंसी मे बना है जो अन्य लोगो की खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नही होने के उपरान्त भी पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है। अपीलांट का उक्त रास्ते की भूमि पर कभी

जिला कलेक्टर
टोंक

भी कोई कब्जा नही रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1021 मे से रकबा 0.02 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम गुंसी तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा कब्जा डोल लगाकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1021 मे से रकबा 0.02 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम गुंसी तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा,कब्जा डोल लगाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है।

अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट का बाडा मौके पर भूमि खसरा नम्बर 1021 किस्म गै.मु. रास्ता पर ना होकर खसरा नम्बर 1079 किस्म गै.मु.बाडा पर बना है जो अन्य लोगो की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नही है,परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 25.01.2024 को मय अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया है और दिनांक 15.02.2024 को अपीलांट की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा जवाब पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पटवारी हल्का से वस्तुस्थिति कि रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.02.2024 को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि खसरा नमबर 1021 किस्म गै.मु. रास्ता मे अतिक्रमी केली पत्नि कालू व भेरू पुत्र रामपाल जाति बलाई सा.गुंसी की धारा 91 कि रिपोर्ट की गई थी,जो सही है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 1021 किस्म गै.मु.रास्ता पर ही है। पटवारी हल्का गुंसी द्वारा की गई धारा 91 कि रिपोर्ट पर पश्चातवर्ती अकिंत किया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 919 दिनांक 31.01.1979 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा खसरा नम्बर 1282/2/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम उनियारा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात तथा अवाप्ती आदेश/पत्रावली की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)